रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 350] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 1, 2007/श्रावण 10, 1929
No. 350] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 1, 2007/SRAVANA 10, 1929

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2007

सा. का. नि. 519(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 30 के साथ पठित धारा 73 की उप-धारा (2) के खंड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन-शोधन निवारण (अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम, 2007 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं**- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो--

(क) " अधिनियम" से धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) अभिप्रेत है ;
(ख) "अपील अधिकरण " से अधिनियम की धारा 25 के अधीन स्थापित अपील अधिकरण अभिप्रेत है ;
(ग) " अध्यक्ष" से अपील अधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;
(घ) " सदस्य" से अपील अधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है ;

(2) उन सभी अन्य शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं ।

3. **अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं**- कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो या उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होने के लिए अर्हित हो ।

4. **अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की पद्धति**- भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित व्यक्तियों के प्रवर्गों में से अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों के तीन नामों का पैनल देने का अनुरोध किया जाएगा ।

5. **सदस्य के रूप में नियुक्तिके लिए अर्हताएं**--(1) लेखाकार सदस्य निम्नलिखित प्रवर्ग में से होगा:-

ऐसा व्यक्ति जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के अधीन चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत लेखाकार के रूप में या भागतः रजिस्ट्रीकृत लेखाकार और भागतः चार्टर्ड अकांटेंट के रूप में कम से कम दस वर्ष तक व्यवसाय में रहा हो ;

(2) अन्य सदस्य के लिए, कोई व्यक्ति नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह--

(क) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो ; या

(ख) भारतीय विधि सेवा का सदस्य रहा हो और उस सेवा के श्रेणी 1 में कम से कम तीन वर्ष तक पद धारण किया हो ; या

(ग) भारतीय राजस्व सेवा का सदस्य रहा हो और उस सेवा में आयकर आयुक्त का पद या समतुल्य पद कम से कम तीन वर्ष तक धारण किया हो ; या

(घ) भारतीय आर्थिक सेवा का सदस्य रहा हो और उस सेवा में संयुक्त सचिव का पद या समतुल्य पद कम से कम तीन वर्ष तक धारण किया हो ; या

(ङ) भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का सदस्य रहा हो और उस सेवा में संयुक्त सचिव का पद या समतुल्य पद कम से कम तीन वर्ष तक धारण किया हो ; या

(च) भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा का सदस्य रहा हो उस सेवा में कम से कम संयुक्त सचिव का पद या समतुल्य पद कम से कम तीन वर्ष तक धारण किया हो ।

6. **सदस्य के रूप में नियुक्ति की पद्धति** :-- (1) चयन, चयन समिति की सिफारिश पर किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित होंगे,--

(क) राजस्व सचिव	-	अध्यक्ष
(ख) सचिव, विधि कार्य विभाग, भारत सरकार	-	सदस्य
(ग) भारत का उप नियंत्रक और महालेखा परीक्षक	-	सदस्य
(घ) अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या अध्यक्ष, उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड	-	सदस्य

[राजस्व सचिव द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा]

(2) चयन समिति, विज्ञापन द्वारा आवेदनों के आमंत्रण के पश्चात् या समुचित प्राधिकारियों की सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की गई अभ्यर्थियों की सूची के व्यक्तियों में से लेखा सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करेगी ।

(3) चयन समिति चयन करने के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विकसित करेगी ।

7. **विद्यमान अपील अधिकरण के अध्यक्ष और एक सदस्य की नियुक्ति** :- तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित किसी अन्य अधिकरण में इस रूप में पद को धारण किए हुए अध्यक्ष या सदस्य को, उस अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य होने के अतिरिक्त यथास्थिति अपील अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा ।

8. अध्यक्ष का वेतन, भत्ते आदि- (1) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च् न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश, उस दर से मासिक वेतन का हकदार होगा जो यथास्थिति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उसको अनुज्ञेय है और वह ऐसे भत्ते तथा अन्य फायदों का हकदार होगा जो यथास्थिति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनुज्ञेय हैं ।

(2) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उस अवधि के लिए जब वह अध्यक्ष के रूप में सेवा करता है ऐसा वेतन संदत्त किया जाएगा जो पेंशन और किसी अन्य रूप में सेवानिवृत्त फायदों के समतुल्य पेंशन, सेवानिवृत्ति से पूर्व उसके लिए गए अंतिम वेतन से अधिक नहीं होगा तथा वह, ऐसे भत्तों और अन्य फायदों का हकदार होगा जो यथास्थिति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश को अनुज्ञेय हैं ।

(3) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति को जो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश नहीं है, 26 हजार रुपए (नियत) प्रतिमास का वेतन संदत्त किया जाएगा और वह ऐसे भत्ते और फायदे लेने का हकदार होगा जो समतुल्य वेतन वाले सरकारी अधिकारी को अनुज्ञेय है :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार के समतुल्य वेतन वाले अधिकारियों [अर्थात् 26000 रुपए (नियत) के वेतनमान वाले अधिकारी] के वेतनमान का पुनरीक्षण किया जाता है तो इस उपनियम में निर्दिष्ट अध्यक्ष के रूप में नियुक्त ऐसा व्यक्ति केन्द्रीय सरकार के समतुल्य वेतन वाले अधिकारियों को लागू पुनरीक्षित वेतनमान का हकदार होगा ;

परंतु यह और कि ऐसा व्यक्ति यदि अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के समय सरकार के अधीन या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय निकाय या प्राधिकरण में की गई पूर्व सेवा की बाबत पेंशन प्राप्त कर रहा है तो ऐसे वेतन में से पेंशन और अन्य किसी रूप में सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम की कटौती कर दी जाएगी ।

(4) जहां तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित किसी अन्य अधिकरण के अध्यक्ष को उस अधिकरण के अध्यक्ष के होने के अतिरिक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वहां वह अपील अधिकरण में किसी वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा ।

(5) अध्यक्ष के वेतन और भत्तों में तथा सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

9 सदस्यों के वेतन, भत्ते आदि- (1) सदस्य के रूप में नियुक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उसी दर से मासिक वेतन का हकदार होगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उसको अनुज्ञेय है और वह ऐसे भत्ते तथा अन्य फायदों का हकदार होगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनुज्ञेय हैं ।

(2) जहां कोई सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में पदावधि के दौरान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त होता है या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश इस रूप में नियुक्त होता है वहां सदस्य के रूप में नियुक्त उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उस अवधि के लिए जब वह सदस्य के रूप में सेवा करता है, ऐसा वेतन जो उसकी पेंशन के साथ और किसी अन्य रूप में सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन, संदत्त किया जाएगा जो सेवानिवृत्ति से पूर्व उसके द्वारा लिए गए अंतिम वेतन से अधिक

नहीं होगा तथा वह, उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश के रूप में ऐसे भत्तों और अन्य फायदों का हकदार होगा जो उच्च न्यायालय के किसी सेवारत न्यायाधीश को अनुज्ञेय हैं ।

(3) सदस्य के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश नहीं है, 22,400-24,500 रुपए वेतनमान में प्रतिमास वेतन संदत्त किया जाएगा और वह ऐसे भत्ते पाने का हकदार होगा जो सरकार के समतुल्य वेतन वाले सरकारी अधिकारी को अनुज्ञेय है :

परंत यदि केन्द्रीय सरकार के समतुल्य वेतन वाले अधिकारियों (अर्थात् 24,400-525-24,500 रुपए) के वेतनमान वाले अधिकारी] के वेतनमान का पुनरीक्षण किया जाता है तो इस उपनियम में निर्दिष्ट सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार के समतुल्य वेतन वाले अधिकारियों को लागू पुनरीक्षित वेतनमान का हकदार होगा ;

परंतु यह और कि यदि ऐसा व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के समय सरकार के अधीन या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय निकाय या प्राधिकरण में की गई पूर्व सेवा की बाबत पेंशन प्राप्त कर रहा है तो ऐसे वेतन में से पेंशन और अन्य किसी रूप में सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम की कटौती कर दी जाएगी ।

(4) जहां, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित किसी अन्य अधिकरण के सदस्य को उस अधिकरण के सदस्य के होने के अतिरिक्त अपील अधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वहां वह अपील अधिकरण में किसी वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा ।

(5) सदस्य के वेतन और भत्तों में तथा सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

10. सदस्य के वेतन का नियतन -- जहाँ सरकारी या किसी स्थानीय निकाय या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन प्राधिकरण के अधीन सेवा से निवृत्त व्यक्ति को सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, वहाँ ऐसे सेवानिवृत्ति के पश्चात् सदस्य के रूप में उसके वेतन से, पेंशन की रकम या सेवा निवृत्ति फायदों के किसी अन्य रूप के समतुल्य पेंशन की कटौती की जाएगी ।

11. भविष्य निधि - (1) अध्यक्ष, यदि वह उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का आसीन न्यायाधीश है तो वह साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा)नियम, 1960 के अधीन साधारण भविष्य निधि लेखा में उसी रीति से अभिदाय करने का हकदार होगा जिसमें कोई अन्य केन्द्रीय सरकार का सेवक हकदार है ।

(2) उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जिसे अपील अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, अभिदायी भविष्य निधि नियम, (भारत) 1962 के अधीन अभिदायी भविष्य निधि लेखा में अभिदाय करने का हकदार होगा ।

(3) यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह अभिदायी भविष्य निधि नियम (भारत) 1962 के अधीन अभिदायी भविष्य निधि लेखा में अभिदाय करने का हकदार होगा ।

(4) यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित किसी अन्य अधिकरण के अध्यक्ष को, उस अधिकरण के अध्यक्ष होने के अतिरिक्त अपील अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो वह साधारण भविष्य निधि लेखा या अभिदायी भविष्य निधि लेखा में अभिदाय करने का हकदार नहीं होगा ।

(5) कोई सदस्य, यदि वह किसी उच्च न्यायालय का आसीन न्यायाधीश है, साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा)नियम, 1960 के अधीन उसी रीति से साधारण भविष्य निधि लेखा में अभिदाय करने का हकदार होगा जिसमें केन्द्रीय सरकार का कोई अन्य सेवक हकदार है ।

(6) किसी उच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश जिसे सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, अभिदायी भविष्य निधि नियम (भारत) 1962 के अधीन अभिदायी भविष्य निधि लेखा में अभिदाय करने का हकदार होगा ।

(7) यदि, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित किसी अन्य अधिकरण के सदस्य को, उस अधिकरण के सदस्य होने के अतिरिक्त अपील अधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो वह साधारण भविष्य निधि लेखा या अभिदायी भविष्य निधि लेखा में अभिदाय करने का हकदार नहीं होगा ।

(8) कोई सदस्य, जो भारतीय विधिक सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा या भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा का सदस्य है, अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) 1955 के अधीन भविष्य निधि लेखा में अभिदाय करने का हकदार होगा ।

(9) कोई सदस्य, जो इस नियम के उपनियम (5) में निर्दिष्ट सेवाओं से सेवानिवृत्त हुआ है, अभिदायी भविष्य निधि नियम (भारत) 1962 के अधीन अभिदायी भविष्य निधि लेखा में अभिदाय करने का हकदार होगा ।

(10) कोई सदस्य, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अधीन किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में या रजिस्ट्रीकृत लेखाकार के रूप में लेखाकर्म के व्यवसाय में रहा है, अभिदायी भविष्य निधि नियम (भारत) 1962 के अधीन अभिदायी भविष्य निधि लेखा में अभिदाय करने का हकदार होगा ।

12. यात्रा भत्ते -- (1) यदि अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, तो वह अधिकरण के कार्य के संबंध में उसके द्वारा की गई यात्राओं की बाबत, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) नियम, 1959 या उच्च न्यायालय न्यायाधीन (यात्रा भत्ता) नियम, 1956 के अधीन उन दरों से, जो यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अनुज्ञेय हैं, यात्रा भत्ता पाने का हकदार होगा । तथापि, उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उनके मुख्यालयों से दूर परिक्षेत्रों में उनके साधारण कर्तव्यों से बाहर कृत्यों को करने के लिए यथास्थिति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश को अनुज्ञेय से उच्चतर दैनिक भत्ते के फायदे का हकदार नहीं होगा ।

(2) अध्यक्ष, जो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश नहीं है या कोई सदस्य अधिकरण के कार्य के संबंध में उसके द्वारा की गई यात्राओं की बाबत उन्हीं दरों से, जो केन्द्रीय सरकार के समतुल्य वेतन वाले अधिकारी को अनुज्ञेय हैं, यात्रा भत्ता पाने का हकदार होगा ।

13. छुट्टी - (1) जहां, अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश है वहां वह ऐसी छुट्टियों के लिए हकदार होगा जो यथास्थिति उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और

सेवा शर्तें)अधिनियम, 1958 (1958 का 41) या उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें)अधिनियम, 1954 (1954 का 28) के अधीन उसे अनुज्ञेय हैं । अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की पदावधि के दौरान सेवानिवृत्त होने वाला उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश, उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 द्वारा शासित होगा ।

(2) जहाँ, अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश है वहां वह ऐसी छुट्टी के लिए हकदार होगा जो सिविल न्यायालय सेवा (छुट्टी)नियम, 1972 के अधीन सरकार के किसी अधिकारी को अनुज्ञेय है ।

(3) किसी सदस्य के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसी छुट्टी के लिए हकदार होगा जो केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन सरकार के किसी अधिकारी को अनुज्ञेय है :

परंतु जहाँ, ऐसे व्यक्ति को, जिसे केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 लागू नहीं होते, अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, वहां वह ऐसी नियुक्ति से पूर्व उसको लागू नियमों के अधीन छुट्टी मंजूर किए जाने का हकदार होगा ।

14. अवकाश – (1) जहां, अध्यक्ष, कोई सेवारत न्यायाधीश है वहां वह यथास्थिति उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें)अधिनियम, 1958 (1958 का 41) या उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें)अधिनियम, 1954 (1954 का 28) के अनुसार अवकाश के लिए हकदार होगा ।
(2) अध्यक्ष, जो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश नहीं है और कोई सदस्य अवकाश के लिए हकदार नहीं होगा ।

15. वास - सुविधा - (1) उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश जिसे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, यथास्थिति उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें)अधिनियम, 1958 (1958 का 41) या उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें)अधिनियम, 1954 (1954 का 28) के अनुसार किसी शासकीय निवास का किराए का भुगतान किए बिना उपयोग करने के लिए हकदार होगा ।

(2) अध्यक्ष, जो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश नहीं है और कोई सदस्य साधारण पूल वास सुविधा के आबंटन के हकदार नहीं होंगे । तथापि वे उन दरों से जो केन्द्रीय सरकार के समतुल्य वेतन वाले अधिकारियों को अनुज्ञेय हैं, मकान किराय भत्ता पाने के हकदार होगा ।

16. चिकित्सीय परिचर्या – (1) उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, यथास्थिति उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें)अधिनियम, 1958 (1958 का 41) या उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें)अधिनियम, 1954 (1954 का 28) के अनुसार चिकित्सीय परिचर्या का हकदार होगा ।

(2) अध्यक्ष, जो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश नहीं है और अधिकरण का कोई सदस्य, केन्द्रीय सरकार के समतुल्य वेतन वाले अधिकारी को अनुज्ञेय चिकित्सीय सुविधाओं के हकदार होंगे ।

17. पदावधि – (1) अध्यक्ष

(क) जहाँ, उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, वहां वह अध्यक्ष के रूप में पांच वर्ष की अवधि के लिए या यथास्थिति सत्तर वर्ष या सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, पद धारण करेगा ।

(ख) जहाँ, खंड (क) के अंतर्गत न आने वाले किसी व्यक्ति को, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है वहां वह पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, पद धारण करेगा ।

(ग) खंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहां ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है जिसे उस खंड में निर्दिष्ट पांच वर्ष की अवधि के पूरा होने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि के भीतर उसको लागू सुसंगत नियमों के अधीन अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होना है , वहां ऐसा व्यक्ति उक्त नियमों के अधीन उसकी अधिवर्षिता की तारीख तक अध्यक्ष के रूप में पद धारण करता रहेगा ।

(2) सदस्य

(क) जहां कहीं, किसी सेवानिवृत्त सेवा/ न्यायिक/तकनीकी अधिकारी को सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, वहां वह पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, पद धारण करेगा ।

(ख) जहां कहीं, किसी सेवानिवृत्त सेवा/ न्यायिक/तकनीकी अधिकारी को सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, वहां वह पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, पद धारण करेगा, परंतु यह तब जब कि चयनित अधिकारी सेवानिवृत्ति मांगेगा या उसे अधिकरण में पद ग्रहण करने पर सेवानिवृत्त समझा जाएगा :

परंतु अन्य अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य की पदावधि, जो इस अधिकरण में अतिरिक्त् प्रभार ग्रहण किए हुए हैं, अधिकरण में उनको लागू नियमों द्वारा शासित होंगे जहां वे अधिष्ठायी प्रभार ग्रहण किए हुए हैं ।

18. सेवा की अन्य शर्तें – ऐसे विषयों की बाबत जिनके लिए इन नियमों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें वहीं होंगी जो तत्समय केन्द्रीय सरकार के तत्समान प्रास्थिति वाले अन्य अधिकारियों को लागू हैं ।

19. शिथिल करने की शक्ति - जहां, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग की बाबत इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को शिथिल कर सकेगी ।

20. व्यावृत्ति – इन नियमों के अंतर्गत न आने वाले किसी विषय की बाबत अध्यक्ष और कोई सदस्य ऐसे नियमों या आदेशों द्वारा जो केन्द्रीय सरकार के समतुल्यय प्रास्थिति वाले अधिकारी को लागू होते हैं, शासित होंगे ।

21. **निर्वचन** – यदि नियम के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो विषय को केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जो उस पर विनिश्चय करेगी ।

[अधिसूचना सं. 5/2007/फा. सं. 6/11/2005-ई. एस.]

वी. पी. अरोड़ा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2007

G.S.R. 519(E).— In exercise of the powers conferred by clause (s) of sub-section(2) of section 73 read with section 30 of the Prevention of Money-Laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules regulating the appointment and conditions of service of persons appointed as Chairperson and Members of the Appellate Tribunal, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Prevention of Money Laundering (Appointment and Conditions of Service of Chairperson and Members of Appellate Tribunal) Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Prevention of Money-Laundering Act, 2002 (15 of 2003);

(b) "Appellate Tribunal" means an Appellate Tribunal established under section 25 of the Act;

(c) "Chairperson" means the Chairperson of the Appellate Tribunal;

(d) "Member" means a Member of the Appellate Tribunal.

(2) All other words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act, shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. **Qualifications for Appointment as Chairperson** :- A person shall not be qualified for appointment as Chairperson unless he is or has been a Judge of the Supreme Court or of a High Court or is qualified to be a Judge of the High Court.

4. **Method of Appointment as Chairperson** :- The Chief Justice of India will be requested to give a panel of three names of candidates suitable for appointment as Chairperson from among the categories of persons qualified for appointment as Chairperson specified in sub section (1) of section 28 of the Act.

5. **Qualifications for Appointment as Member** :- (1) The Accountant Member will be from the following category :-

A person who has been in the practice of accountancy as a Chartered Accountant under the Chartered Accountants Act, 1949 or as a registered accountant under any law for the time being in force or partly as a registered accountant and partly as a Chartered Accountant for at least ten years

(2) For the other Member, a person shall not be qualified for appointment unless he—

(a) is or has been a Judge of a High Court; or
(b) has been a member of the Indian Legal Service and has held a post in Grade-I of that Service for at least three years; or
(c) has been a member of the Indian Revenue Service and has held the post of Commissioner of Income Tax or equivalent post in that Service for at least three years; or
(d) has been a member of the Indian Economic Service and has held the post of Joint Secretary or equivalent post in that Service for at least three years; or
(e) has been a member of the Indian Customs and Central Excise Service and has held the post of Joint Secretary or equivalent post in that Service for at least three years; or
(f) has been a member of the Indian Audit and Accounts Service and has held the post of Joint Secretary or equivalent post in that Service for at least three years.

6. **Method of Appointment as Member** :— (1) Selection shall be made on the recommendation of a Selection Committee comprising of —

(a)	Revenue Secretary	-	Chairperson
(b)	Secretary, Department of Legal Affairs Government of India.	-	Member

(c) Deputy Comptroller and Auditor General of India - Member

(d) Chairman, Central Board of Direct Taxes or Chairman, Central Board of Excise and Customs - Member
[To be nominated by Revenue Secretary]

(2) The Selection Committee shall recommend persons for appointment as Accountant Member from amongst the persons on the list of candidates prepared by the Ministry of Finance after inviting applications therefor by advertisement or on the recommendations of the appropriate authorities.

(3) The Selection Committee shall evolve its own procedure for making selection.

7. **Appointment of Chairperson and One Member of an existing Appellate Tribunal** .— The Chairperson or a Member holding a post as such in any other Tribunal, established under any law for the time being in force, in addition to his being a Chairperson or a Member of that Tribunal, may be appointed as Chairperson or Member, as the case may be, of Appellate Tribunal.

8. **Salary, allowance, etc. of the Chairperson** .– (1) A serving Judge of the Supreme Court or of High Court appointed as Chairperson shall be entitled to a monthly salary at the same rate as is admissible to him as a judge of the Supreme Court or of a High Court, as the case may be and he shall be entitled to such allowances and other benefits as are admissible to a judge of the Supreme Court or of a High Court, as the case may be.

(2) A retired Judge of the Supreme Court or of a High Court appointed as Chairperson, shall be paid for the period he serves as Chairperson such salary which, together with his pension and pension equivalent of any other form of retirement benefits shall not exceed the last pay drawn by him before retirement and he shall be entitled to such allowances and other benefits as are admissible to a serving judge of the Supreme Court or of a High Court, as the case may be.

(3) A person who is not a serving judge, or a retired Judge of the Supreme Court or of a High Court appointed as Chairperson, shall be paid a salary of Rs.26,000/- (fixed) per mensem and shall be entitled to draw such allowances as are admissible to a Government officer of equivalent pay :

Provided that if the pay scale of the officers of the Central Government of equivalent pay [i.e., officers in the pay-scale of Rs.26,000/-(fixed)] is revised, the person appointed as Chairperson referred to in this sub-rule shall be entitled to the revised pay-scale applicable to the said officers of the Central Government of equivalent pay :

Provided further that if such a person at the time of his appointment as Chairperson is in receipt of a pension in respect of his previous service under the Government or any local body or authority owned or controlled by the Government, such salary shall be reduced by the amount of pension and pension equivalent of any other form of retirement benefits.

(4) Where a Chairperson of any other Tribunal, established under any law for the time being in force, is appointed in addition to his being the Chairperson of that Tribunal, as the Chairperson of the Appellate Tribunal, he shall not be entitled to any salary or allowances in the Appellate Tribunal.

(5) Neither the salary and allowances nor the other terms and conditions of service of the Chairperson shall be varied to his disadvantage after his appointment.

9. **Salary, allowances, etc. of members.** – (1) A Judge of the High Court appointed as member shall be entitled to a monthly salary at the same rate as is admissible to him as a judge of the High Court and he shall be entitled to such allowances and other benefits as are admissible to a judge of the High Court.

(2) Where the member retires from service as Judge of the High Court during the term of office of such member or a retired Judge of the High Court is appointed as such, he shall be paid for the period he serves as member such salary which, together with his pension and pension equivalent of any other form of retirement benefits shall not exceed the last pay drawn by him before retirement and he shall be entitled to such allowances and other benefits as are admissible to a serving judge of the High Court.

(3) A person, not being a serving or retired Judge of the High Court, appointed as member shall be paid a salary in the scale of pay of Rs.22,400-24,500 per mensem and shall be entitled to draw such allowances as are admissible to a Government officer of equivalent pay :

Provided that if the pay scale of the officers of the Central Government of equivalent pay [i.e., officers in the pay-scale of Rs.22,400-525-24,500)] is revised, the person appointed as Member referred to in this sub-rule shall be entitled to the revised pay-scale applicable to the said officers of the Central Government of equivalent pay :

Provided further that if such a person at the time of his appointment as member is in receipt of a pension in respect of any previous service under the Government or any local body or authority owned or controlled by Government, such salary shall be reduced by the amount of pension and pension equivalent of any other form of retirement benefits.

(4) Where a member of any other Tribunal, established under any law for the time being in force, is appointed in addition to his being the member of that Tribunal, as a member of the Appellate Tribunal, he shall not be entitled to any salary or allowances in the Appellate Tribunal.

(5) Neither the salary and allowances nor the other terms and conditions of service of the member shall be varied to his disadvantage after his appointment.

10. Fixation of pay of member. – Where a person retired from service under the Government or any local body or authority owned or controlled by the Government appointed as member, his salary as member after such retirement shall be reduced by the amount of pension and pension equivalent of any other form of retirement benefits.

11. Provident Fund. – (1) The Chairperson, if he is a sitting Judge of the Supreme Court or of a High Court, shall be entitled to make contributions towards General Provident Fund Account under the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, in the same manner as any other Central Government servant.

(2) The retired Judge of the Supreme Court or of a High Court, who has been appointed as a Chairperson of the Appellate Tribunal, shall be entitled to make contributions to the Contributory Provident Fund Account under the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962.

(3) If a person qualified to be a Judge of the High Court is appointed as the Chairperson, he shall be entitled to make contributions to the Contributory Provident Fund Account under the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962.

(4) If the Chairperson of any other Tribunal, established under any law for the time being in force, is appointed in addition to his being the Chairperson of that Tribunal, as the Chairperson of the Appellate Tribunal, he shall not be entitled to make any contributions to the General Provident Fund Account or the Contributory Provident Fund Account.

(5) A Member, if he is a sitting Judge of a High Court, shall be entitled to make contributions towards General Provident Fund Account under the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, in the same manner as any other Central Government servant.

(6) A retired Judge of a High Court, who has been appointed as a Member, shall be entitled to make contributions to the Contributory Provident Fund Account under the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962.

(7) If a member of any other Tribunal, established under any law for the time being in force, is appointed in addition to his being a member of that Tribunal, as a member of the Appellate Tribunal, he shall not be entitled to make any contributions to the General Provident Fund Account or the Contributory Provident Fund Account.

(8) A Member who is a Member of the Indian Legal Service, the Indian Revenue Service, the Indian Economic Service, the Indian Customs and Central Excise Service or the Indian Audit and Accounts Service, shall be

entitled to make contributions towards Provident Fund Account under the All India Services (Provident Fund) Rules, 1955.

(9) A Member who has retired from the Services referred to in sub-rule (5) of this rule shall be entitled to make contributions to the Contributory Provident Fund Account under the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962.

(10) A Member who has been in the practice of accountancy as a Chartered Accountant under the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) or as a registered accountant shall be entitled to make contributions to the Contributory Provident Fund Account under the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962.

12. Travelling allowances. – (1) If the Chairperson is a serving Judge or a retired Judge of the Supreme Court or of a High Court, he shall be entitled to draw travelling allowance under the Supreme Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1959, or as the case may be, the High Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1956, in respect of journeys performed by him in connection with the work of the Tribunal at the rates as are admissible to a Judge of the Supreme Court or of a High Court, as the case may be. However, a retired Judge of the Supreme Court or of a High Court shall not be entitled to the benefit of higher daily allowance admissible to a serving Judge of the Supreme Court or of a Higher Court, as the case may be, for performing functions outside their normal duties in localities away from their headquarters.

(2) The Chairperson, not being a Judge or a retired Judge of the Supreme Court or of a High Court or any member shall be entitled to draw traveling allowance in respect of journeys performed by him in connection with the work of the Tribunal at the same rates as are admissible to a Central Government officer of equivalent pay.

13. Leave. – (1) Where the Chairperson is a serving Judge of the Supreme Court or of a High Court, he shall be entitled to such leave as may be admissible to him under the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958 (41 of 1958), or as the case may be, the High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954 (28 of 1954). The serving Judge of the Supreme Court or of a High Court retiring during the tenure of appointment as Chairperson, he would be governed by Central Civil Service (Leave) Rules, 1972, with effect from his date of retirement from service.

(2) Where the Chairperson is a retired Judge of the Supreme Court or of a High Court, he shall be entitled to such leave as is admissible to an officer of the Government under the Civil Court Services (Leave) Rules, 1972.

(3) A person appointed as a member shall be entitled to such leave as is admissible to an officer of the Government under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 :

Provided that where a person to whom the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, are not applicable, is appointed as the Chairperson or a member, he shall be eligible for the grant of leave under the rules applicable to him before such appointment.

14. Vacation. – (1) Where the Chairperson is a serving Judge, he shall be entitled to vacation in accordance with the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958 (41 of 1958), or as the case may be the High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954 (28 of 1954).

(2) The Chairperson, who is not a serving Judge of the Supreme Court or of a High Court and a Member shall not be entitled to vacation.

15. Accommodation. – (1) A serving Judge or a retired Judge of the Supreme Court or of a High Court who is appointed as Chairperson shall be entitled, without payment of rent, to the use of an official residence in accordance with Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Services) Act, 1958 (41 of 1958), or as the case may be, the High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954 (28 of 1954).

(2) The Chairperson, who is not a serving Judge or a retired Judge of the Supreme Court or of a High Court, and a member shall not be entitled for allotment of General Pool accommodation. However, they will be entitled to draw House Rent Allowance at the rates as are admissible to other Central Government officers of equivalent pay.

16. Medical attendance.— (1) A serving Judge or retired Judge of the Supreme Court or of a High Court shall be entitled to medical attendance in accordance with the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958 (41 of 1958), or as the case may be High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954 (28 of 1954).

(2) The Chairperson, who is not a serving Judge or a retired Judge of the Supreme Court or of a High Court, and a Member of the Tribunal shall be entitled to medical facilities admissible to a Central Government officer of equivalent pay.

17. Tenure. – (1) **Chairperson**

(a) Where a serving Judge of the Supreme Court or of a High Court is appointed as Chairperson, he shall hold office as Chairperson for a period of five years or till he attains the age of seventy years or sixty-seven years, as the case may be, whichever happens earlier :

(b) Where a person not falling under clause (a) is appointed as Chairperson, he shall hold office for a period of five years, or till he attains the age of sixty-five years, whichever happens earlier.

(c) Notwithstanding anything contained in clause (b), where a person appointed as Chairperson is due to retire on attaining the age of superannuation under the relevant rules applicable to him within a period of one year after completion of the period of five years referred to in that clause, such person shall continue to hold office as Chairperson till the date of his superannuation under the said rules.

(2) **Member**

(a) Wherever a retired service / judicial / technical officer is appointed as Member he/she shall hold office for a term of five years or till he / she attains the age of sixty five years, whichever is earlier.

(b) Wherever a serving service / judicial / technical officer is appointed as Member he / she shall hold office for a term of five years or till he / she attains the age of sixty five years, whichever is earlier, provided the selected officer shall seek retirement or shall be deemed to have retired from service on entering upon the office in the Tribunal.

Provided that the tenure of Chairperson and Member of another Tribunal who are holding additional charge of this Tribunal, shall be governed by the Rules applicable to them in Tribunal where they are holding substantive charge.

18. Other Conditions of Service.– The conditions of service of Chairperson and members in respect of matters for which no provision is made in these rules shall be the same as may for the time being be applicable to other officers of the Central Government of a corresponding status.

19. Power to Relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

20. Saving. – In respect of any matter not covered by these rules, the Chairperson and a member shall be governed by such rules or orders as may be applicable to a Central Government Officer of equivalent status.

21. Interpretation. – If any question arises relating to the interpretation of rule, the matter shall be referred to the Central Government who shall decide the same.

[Notification No. 5/2007/F. No. 6/11/2005-E. S.]

V. P. ARORA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2007

सा. का. नि. 520(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 6 के साथ पठित उसकी धारा 73 की उप-धारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन-शोधन निवारण (न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 2007 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं :- (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम"से धन-शोधन निवारण अधिनियम 2002 (2003 का 15) अभिप्रेत है ;

(ख) "न्यायनिर्णायक प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त न्यायनिर्णायक प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(ग) "अध्यक्ष" से न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(घ) "सदस्य" से न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, अध्यक्ष भी है ।

2. उन सभी अन्य शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में हैं ।

3. सदस्य के रुप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं :- न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के तीन सदस्य होंगे । एक सदस्य विधि के क्षेत्र से और दो सदस्य प्रशासन और वित्त या लेखा-कर्म से होगा ।

(1) विधि के क्षेत्र से सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए कोई व्यक्ति तभी अर्हित होगा, जब वह-

(क) जिला न्यायाधीश के रुप में नियुक्ति के लिए अर्हित है ; या

(ख) भारतीय विधि सेवा का सदस्य रहा हो और उस सेवा की श्रेणी -I में पद धारण कर चुका है ।

(2) प्रशासन के क्षेत्र से सदस्य के रूप में, नियुक्ति के लिए कोई व्यक्ति तभी अर्हित होगा, जब वह भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय पुलिस सेवा का सदस्य है या सदस्य रहा है और भारत सरकार के संयुक्त सचिव का पद या कोई समतुल्य पद धारित कर चुका है ।

(3) वित्त और लेखा-कर्म के क्षेत्र से सदस्य के रूप में, नियुक्ति के लिए कोई व्यक्ति तभी अर्हित होगा, जब वह अखिल भारतीय सेवा या किसी केन्द्रीय सेवा समूह 'क' का सदस्य है या सदस्य रहा है और उस सेवा में केन्द्रीय सरकार के संयुक्त सचिव का पद या कोई समतुल्य पद धारण कर चुका है और वित्त या लेखा-कर्म में शैक्षिक अर्हताएं या अनुभव रखता है ।

(4) सदस्यों की नियुक्ति की रीति : सदस्य के पद पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, एक चयन समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

(i) राजस्व सचिव - अध्यक्ष
(ii) सचिव, विधि कार्य विभाग, भारत सरकार - सदस्य
(iii) अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा - शुल्क बोर्ड (जो राजस्व सचिव द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा) - सदस्य

(5) अध्यक्ष की नियुक्ति : न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के सदस्यों में से एक सदस्य को पूर्वोक्त समिति की सिफारिशों पर उसके अध्यक्ष के रुप में नियुक्त किया जाएगा ।

(6) वेतन और भत्ते :- (1) अध्यक्ष और सदस्यों का वेतनमान नीचे विनिर्दिष्ट रुप में होगा :-

अध्यक्ष	-	22,400-525-24,500 रु०
सदस्य	-	18,400-500-22,400 रु०

(2) उप नियम (1) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट वेतन के अतिरिक्त, अध्यक्ष और सदस्य ऐसे भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो समतुल्य श्रेणी के समूह 'क' अधिकारी को अनुज्ञेय हैं :

परंतु यदि अध्यक्ष या कोई सदस्य, केन्द्रीय सरकार के अधीन की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में पेंशन प्राप्त कर रहा है तो ऐसे वेतन से पेंशन की रकम और उपदान के समतुल्य पेंशन या किसी अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदों की रकम की कटौती कर दी जाएगी ।

परंतु यह और कि अध्यक्ष और सदस्य के वेतन तथा भत्तों में तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

7. चिकित्सक दृष्टया योग्यता : कोई व्यक्ति प्राधिकरण के सदस्य के रुप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित किए जाने वाले चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सीय दृष्टि से योग्य घोषित न कर दिया गया हो और जब तक उसे किसी समतुल्य प्राधिकारी द्वारा पहले से ही योग्य घोषित न कर दिया गया हो ।

8. सदस्य के रुप में नियुक्ति पर मूल सेवा से सेवानिवृत्ति :- (1) जहां कोई सदस्य न्याय-निर्णायक प्राधिकरण में उसकी नियुक्ति की तारीख को, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन सेवा में था, वहां वह न्यायनिर्णायक प्राधिकरण में पद ग्रहण करने से पूर्व सेवा से सेवानिवृत्ति प्राप्त करेगा और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण में अपना पद ग्रहण करने की तारीख को इस प्रकार सेवा-निवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट सेवानिवृत्ति पर, सदस्य -

(i) उसको लागू सेवानिवृत्ति नियमों के अनुसार पेंशन, उपदान और पेंशन संराशीकरण प्राप्त करने का हकदार होगा ;

(ii) उसे अपनी उपार्जित छुट्टी अग्रनीत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, किंतु उसकी सेवानिवृत्ति से पूर्व उसे लागू नियमों के अनुसार छुट्टी वेतन, यदि कोई है, के समतुल्य नकदी प्राप्त करने का हकदार होगा ;

(iii) वह न्यायनिर्णायक प्राधिकरण में अपने पद की अवधि की समाप्ति पर, यथास्थिति, चाहे सदस्य के रुप में या अध्यक्ष के रुप में बने रहकर, इस शर्त के अधीन रहते हुए अपने खाते में जमा उपार्जित छुट्टी की बाबत छुट्टी वेतन के समतुल्य नकदी प्राप्त करने का हकदार होगा कि इस उपनियम के अधीन और पूर्व सेवा से सेवनिवृत्ति के समय, एक साथ लिया गया छुट्टी का अधिकतम भुगतान किसी भी दशा में तीन सौ दिन से अधिक नहीं होगा ।

9. पदावधि

(i) अध्यक्ष-

अध्यक्ष, यथास्थिति, चाहे सदस्य के रुप में या अध्यक्ष के रुप में बने रहकर, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा ।

परंतु अध्यक्ष पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

(ii) सदस्य-

सदस्य के रुप में नियुक्त व्यक्ति उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, उस रूप में पद धारण करेगा ।

10. ज्येष्ठता :

किसी सदस्य की ज्येष्ठता चयन के क्रम के अनुसार अवधारित की जाएगी । उसी चयन पैनल के सदस्यों की दशा में, उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता पैनल पर नामों के क्रम के अनुसार होगी ।

11. भविष्य निधि में अभिदाय :

अध्यक्ष और सदस्य, अभिदाय भविष्य निधि नियम, (भारत) 1962 के अधीन, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार के गैर पेंशन सेवकों को लागू होती हैं, अभिदाय करने के हकदार होंगे ।

12. आवास :

अध्यक्ष और सदस्य, साधारण पूल आवासिक आवास के आबंटन के लिए पात्र नहीं होंगे । तथापि, वे उन दरों पर गृह किराया भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो समतुल्य वेतन वाले अन्य केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को अनुज्ञेय हैं ।

13. सेवा की अन्य शर्तें :

उन विषयों की बाबत, जिनके लिए इन नियमों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, सदस्यों की सेवा की शर्तें वही होंगी, जो तत्समान प्रास्थिति के अन्य ऐसे व्यक्तियों को तत्समय लागू हों ।

14. निर्वचन :

यदि इन नियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

[अधिसूचना सं. 6/2007/फा. सं. 6/11/2005-ई. एस.]

वी. पी. अरोड़ा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2007

G.S.R. 520(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section(2) of section 73 read with section 6 of the Prevention of Money-Laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules regulating the appointment and conditions of service of persons appointed as Chairperson and Members of the Adjudicating Authority, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1)These rules may be called the Prevention of Money-Laundering (Appointment and Conditions of Service of Chairperson and Members of Adjudicating Authorities) Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Prevention of Money-Laundering Act, 2002 (15 of 2003);

(b) "Adjudicating Authority" means an Adjudicating Authority appointed under sub-section (1) of section 6 of the Act;

(c) "Chairperson" means the Chairperson of the Adjudicating Authority;

(d) "Member" means a Member of the Adjudicating Authority and, unless the context otherwise requires, includes the Chairperson.

(2) All other words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act, shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. **Qualifications for appointment as Member.**— An Adjudicating Authority shall have three Members – one from the field of Law and two from the fields of administration and finance or accountancy.

(1) For the Member from the field of Law, a person shall be qualified for appointment if he –

(a) is qualified for appointment as District Judge; or

(b) has been a member of the Indian Legal Service and has held a post in Grade-I of that Service.

(2) For the Member from the field of administration, a person shall be qualified for appointment if he is or has been a member of the Indian Administrative Service or the Indian Police Service and has held a post of Joint Secretary to the Government of India or an equivalent post.

(3) For the Member from the field of finance or accountancy, a person shall be qualified for appointment if he is or has been a member of an All India Service or a Central Service Group 'A', and has held the post of a Joint Secretary to the Central Government or an equivalent post in that service, and has academic qualifications or experience in finance or accounting.

4. **Method of Appointment of Members.**— For the purpose of appointment to the post of a member, there shall be a Selection Committee consisting of :-

(i)	Revenue Secretary	-	Chairman
(ii)	Secretary, Department of Legal Affairs, Government of India.	-	Member
(iii)	Chairman, Central Board of Direct Taxes or Chairman, Central Board of Excise and Customs [To be nominated by Revenue Secretary]	-	Member

5. **Appointment of Chairperson.**— One of the Members of the Adjudicating Authority shall be appointed as its Chairperson on the recommendations of the afore-said Committee.

6. **Salary and allowance.**— (1) The pay scales of the Chairperson and Members shall be as specified below:-

Chairperson	:	Rs.22, 400-525-24,500.
Member	:	Rs.18, 400-500-22,400.

(2) In addition to the salary as specified under sub-rule (1), the Chairperson and Members shall be entitled to draw such allowances as are admissible to a Group 'A' Officer of the equivalent grade:

Provided that if the Chairperson or a Member is in receipt of pension in respect of any previous service rendered under the Central Government, such salary shall be reduced by the amount of pension and pension equivalent of gratuity or any other form of retirement benefits:

Provided further that neither the salary and allowances nor the other terms and conditions of service of the Chairperson and Member shall be varied to his disadvantage.

7. Medical Fitness.— No person shall be appointed as a Member of the Authority unless he is declared medically fit by a Medical Board to be constituted by the Central Government for the purpose unless he has already been declared fit by an equivalent authority.

8. Retirement from parent service on appointment as Member.— (1) Where, a member, on the date of his appointment to the Adjudicating Authority, was in service under the Central Government or State Government, he shall seek retirement from service before joining the Adjudicating Authority, and shall be deemed to have so retired on the date of his joining the Adjudicating Authority.

(2) On retirement as specified under sub-rule (1), the member—

(i) shall be entitled to receive pension, gratuity and commutation of pension in accordance with the retirement rules applicable to him;

(ii) shall not be allowed to carry forward his earned leave but shall be entitled to receive cash equivalent of leave salary, if any, in accordance with the rules applicable to him prior to his retirement;

(iii) shall, on the expiry of the term of his office in the Adjudicating Authority, whether as a Member or in continuation as Chairperson, as the case may be, be entitled to receive cash equivalent of leave salary in respect of the earned leave standing to his credit subject to the condition that the maximum of leave encashed under this sub-rule and at the time of retirement from previous service, taken together, shall not in any case exceed three hundred days.

9. **Tenure.—**

(i) Chairperson –

The Chairperson shall hold office for a term of five years, whether as a Member or in continuation as Chairperson, as the case may be, from the date on which he enters upon his office, or till he attains the age of 62 years, whichever is earlier.

Provided that the Chairperson shall not be eligible for re-appointment.

(ii) Member –

A person appointed as Member shall hold office as such for a term of five years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of 62 years, whichever is earlier.

10. **Seniority** — Seniority of a member shall be determined in accordance with the order of selection. In case of members belonging to the same selection panel, their inter-se seniority will be as per the order of names on the panel.

11. **Contribution to Provident Fund.**— The Chairperson and Members shall be entitled to make contributions under the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962, subject to such conditions as are applicable to non-pensionable servants of the Central Government.

12. **Accommodation.**— The Chairperson and Members shall not be eligible for allotment of General Pool residential accommodation. However, they will be entitled to draw House Rent Allowance at the rates as are admissible to other Central Government officers of equivalent pay.

13. **Other conditions of service.**— The conditions of service of Members in respect of matters for which no provision is made in these rules shall be the same as may be for the time being applicable to other such persons of a corresponding status.

14. **Interpretation.**— If any question arises relating to the interpretation of these rules, the decision of the Central Government shall be final.

[Notification No. 6/2007/ F. No. 6/11/2005-E. S.]

V. P. ARORA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.